रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2018/फाल्गुन 16, 1939
No. 119] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2018/PHALGUNA 16, 1939

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2018

सा.का.नि.207(अ).--स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टैंट ऑरगेनिक पॉल्यूटैंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कन्वेंशन कहा गया है) 17 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ और भारत ने उक्त कन्वेशन का अनुसमर्थन 13 जनवरी, 2006 को किया;

और, उक्त कन्वेंशन रसायनों को तीन उपाबंधों में सूचीबद्ध कर सकती है:- उपाबंध 'क' - विशिष्ट छूट के साथ हटाए जाने वाले रसायन; उपाबंध 'ख' -निर्बंधित किए जाने वाले रसायन; और उपाबंध 'ग' – सूचीबद्ध रसायनों का गैरइरादन छूटने का अल्पीकरण;

और, सात रसायनों अर्थात् :- (i) कलोरवेकोन (ii) हेक्जाब्रोमोबाइफिनाइल (iii) हेक्जाब्रोमोडाइफिनाइल इथर और हेप्टा-ब्रोमोडाइफिनाइल इथर (कमर्शियल आक्टा- बी डी ई) (iv) टेटराब्रोमोडाइफिनाइल इथर और पेंटा ब्रोमोडाइफिनाइल (कमर्शियल पेंटा-बी डी ई) (v) पेटाक्लोरोबेंजीन (vi) हेक्जाब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन और (vii) हेक्जाक्लोरोबुटाडाइन, को स्टॉकहोम कन्वेशन के उपाबंध 'क' में परसिस्टैंट ऑरगैनिक पॉल्यूटेंट (पी. ओ. पी.) के रुप में सूचीबद्ध किया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के उपनियम (2) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्यांक सा.का.नि. 1120(अ), तारीख 29 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त प्रारुप नियम उससे संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और इस के द्वारा सूचना दी गई थी कि प्रारुप नियमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से, जिसको इन नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनसधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 5 सितम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रारूप नियमों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परसिस्टैंट ऑरगेनिक पॉल्यूटैंट विनियमन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् प्रवृत्त होगें।

2. **रसायनों के निर्माण, आदि पर प्रतिषेध** – निम्नलिखित सात रसायनों का निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात प्रतिषिद्ध होगा, अर्थात्

(i) कलोरवेकोन

(ii) हेक्जाब्रोमोबाइफिनाइल

(iii) हेक्जाब्रोमोडाइफिनाइल इथर और हेफ्टा-ब्रोमोडाइफिनाइल इथर (कमर्शियल आक्टा- बी डी ई)

(iv) टेटराब्रोमोडाइफिनाइल इथर और पेंटा ब्रोमोडाइफिनाइल (कमर्शियल पेंटा-बी डी ई)

(v) पेटाक्लोरोबेंजीन

(vi) हेक्जाब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन और

(vii) हेक्जाक्लोरोबुटाडाइन

3. **अधिष्ठाता द्वारा घोषणा** – अधिष्ठाता, नियम 2 में उल्लिखित रसायनों की कुल मात्रा की घोषणा जो उपभोग में है और उनके संचयन में हैं, इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 1 के अनुसार, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः मास के भीतर, करेगा।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो औद्योगिक इकाई के कार्यों पर नियंत्रण रखता है या जहां नियम 2 में उल्लिखित रसायनों को संभाला जाता है और व्यक्ति उक्त रसायनों पर कब्जा रखता हो।

4. **अधिष्ठाता द्वारा रसायनों का निष्कासन या निस्सारण नहीं करना** – अधिष्ठाता नियम 2 में उल्लिखित रसायनों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बहिस्राव उपचार संयंत्र, मल वहन उपचार संयंत्र, भूमि पर, सार्वजनिक मल नाली, सतही जल या समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में निष्कासन या निस्सारण नहीं करेगा।

5. अपशिष्ट निपटान - नियम 2 में उल्लिखित रसायन युक्त अपशिष्ट का निपटान परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और परासीमा संचलन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

6. **वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए रसायनों का उपयोग**- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियम 2 में उल्लिखित रसायनों का, उपयोग, विक्रय और आयात यथा अपेक्षित, केन्द्रीय विश्वविदालयों, वैज्ञानिक परिषद और औद्योगिक शोध प्रयोगशालाओं, सरकारी संस्थानों या अन्य शोध संस्थानों में, मात्रा शोध और विकास कार्यकलापों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात किया जा सकेगा।

[फा. सं. 22-19/2016-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

IndiaCode

प्रारूप – I

परसिस्टैंट ऑरगेनिक पॉल्यूटैंट (पीओपी) के लिए घोषणा प्रारूप

(नियम 3 देखिये)

[परसिस्टैंट ऑरगेनिक पॉल्यूटैंट विनियमन नियम, 2018 के नियम 3 के अनुसार अधिष्ठाता द्वारा आवेदन]

तारीख

प्रेषक

.....

.....

.....

सेवा में

IndiaCode

परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन,

जल विंग, द्वितीय तल, जोर बाग रोड,

नई दिल्ली – 110003

श्रीमान् जी,

मैं/हम परसिस्टैंट ऑरगेनिक पॉल्यूटैंट विनियमन नियम, 2018 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन उक्त नियमों के नियम 2 में उल्लिखित रसायनों की कुल मात्रा के सम्बन्ध में जानकारी देता हूं जो उपयोग में है/उपयोग में नहीं है या मेरे/हमारे किसी अधिष्ठाता(ओं) के कब्जे और उनके संचयन में है ।

भाग – I

साधारण

क्र. सं	**मद ब्यौरे**	**विवरण**
1.	अधिष्ठाता का नाम	
2.	यूनिट का पूरा पता, अवस्थिति, सम्पर्क ब्यौरे (दूरभाष संख्या, फैक्स और ई-मेल)	
3.	रसायन का स्त्रोत (व्यापार जानकारी-ब्रांड नाम, पूर्तिकार, विनिर्माता) । (प्रत्येक रसायन के लिए पृथक जानकारी दी जाए)	
4.	उपरोक्त नियमों के नियम 2 में सूचीबद्ध रसायनों की कुल मात्रा (टन/किलोग्राम/लीटर) (प्रत्येक रसायन के लिए पृथक जानकारी दी जाए)।	
5.	आवेदन, जहां रसायन का उपयोग किया जा रहा है/उपयोग किया गया था (प्रत्येक रसायन के लिए पृथक जानकारी दी जाए)।	
6.	कोई अन्य जानकारी।	

भाग – II

उपरोक्त नियमों के नियम 2 में सूचीबद्ध सम्भाव्य रसायनों को अन्तर्विष्ट करने वाले अपशिष्ट की जानकारी

1.	अपशिष्ट की प्रकृति (जैसे – अवसित रसायन, उत्पादों में रसायन, आदि।	
2.	अनुमानित मात्रा (टन/किलोग्राम/लीटर में)।	
3.	संचयन की मात्रा (टन/किलोग्राम/लीटर में)।	
4.	ब्रीफ कि कैसे ऐसे पीओपी अपशिष्ट का भंडारण किया गया है।	
5.	क्या पीओपी अपशिष्ट भंडारण के स्थान को स्पष्ट रूप से अंकित है ?	हां/नहीं
6.	कोई अन्य जानकारी।	

IndiaCode

स्थान :

तारीख :

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2018

G.S.R. 207 (E).—Whereas, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant (hereinafter referred to as the said Convention) came into force on the 17th May, 2004 and India ratified the said Convention on the 13th January, 2006;

And whereas, the said Convention can list chemicals in three annexes: Annex A- chemicals to be eliminated with specific exemptions; Annex B - chemicals to be restricted; and Annex C - minimisation of unintentional releases of listed chemicals;

And whereas, seven chemicals, namely, (i) Chlordecone, (ii) Hexabromobiphenyl, (iii) Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether (commercial octa-BDE), (iv) Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether (commercial penta-BDE), (v) Pentachlorobenzene, (vi) Hexabromocyclododecane and (vii) Hexachlorobutadine, have been listed as Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Annex 'A' of the Stockholm Convention;

And whereas, the Central Government had, in exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (2) of section 6 read with sub- section (1) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (2) of rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, published the draft rules in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R 1120(E) dated, the 29th August, 2017 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice was given that said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said rules are made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 5th September, 2017;

And whereas, the suggestion or objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 and section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Regulation of Persistent Organic Pollutants Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force one year after the date of their publication in the Official Gazette.

2. Prohibition on manufacture, etc. of chemicals.- The manufacture, trade, use, import and export of the following seven chemicals shall be prohibited, namely:-

(i) Chlordecone;
(ii) Hexabromobiphenyl;
(iii) Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether (commercial octa-BDE);
(iv) Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether (commercial penta-BDE);
(v) Pentachlorobenzene;
(vi) Hexabromocyclododecane; and
(vii) Hexachlorobutadine.

3. **Declaration by Occupier.-** The Occupier shall declare, the total quantity of the chemicals mentioned in rule 2, which are in use and their stockpiles, as per Form-I annexed to these rules to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, within a period of six months from the date of publication of these rules in the Official Gazette.

Explanation.- For the purposes of these rules, "Occupier" means a person who has control over the affairs of the industrial unit or the premises where the chemicals mentioned in rule 2 are handled, and the person in possession of the said chemicals.

4. **Occupier not to drain or discharge chemicals.-** The Occupier shall not drain or discharge or dispose the chemicals mentioned in rule 2 directly or indirectly in effluent treatment plant, sewage treatment plant, onto any land, in public sewers, in inland surface water or in marine coastal areas.

5. **Disposal of waste.-** The waste containing chemicals mentioned in rule 2 shall be disposed of as per the provisions of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

6. **Use of chemicals for scientific purpose.-** Notwithstanding anything contained in these rules, the chemicals mentioned in rule 2 may be used, sold or imported in quantities as required for research and development activities in Central Universities, Council of Scientific and Industrial Research Laboratories, Government Institutions or other Research Institutions or accredited laboratories in the Government or private sector after the approval of **the Ministry** of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

[F. No.22-19/2016 -HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

FORM-I

DECLARATION FORM FOR PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs)

(See rule 3)

[Application by an occupier as per rule 3 of the Regulation of Persistent Organic Pollutants Rules, 2018]

Date

From

To

Hazardous Substance Management Division,

Ministry of Environment, Forest and Climate Change,

Indira Paryavaran Bhawan,

Jal Wing, 2nd Floor, Jor Bagh Road,

New Delhi-110003

Sir,

I/We hereby disclose the information under the provisions of rule 3 of the Regulation of Persistent Organic Pollutants Rules, 2018 with respect to the total quantity of chemicals mentioned in rule 2 of the said rules, which are in use, not in use or in my/our possession and their stockpiles as an occupier(s).

IndiaCode

PART-I

General

Sl. No.	Item details	Description
1	Name of Occupier.	
2.	Complete address, location, contact details of the unit (Telephone Nos., fax and e-mail).	
3.	Source of chemical (trade information-brand name, supplier, manufacturer). (For each chemical, separate information is to be provided)	
4.	Total quantity of chemicals (Tonnes/Kilograms/Litres) listed in rule 2 of the aforesaid rules. (For each chemical, separate information is to be provided).	
5.	Applications where chemical/s is being used/was used (For each chemical, separate information is to be provided).	
6.	Any other information.	

PART-II

Information on waste likely to contain chemicals listed in rule 2 of the aforesaid rules

1.	Nature of waste/s (viz. Expired chemical, chemical in products, etc.).	
2.	Estimated quantity (in Tonnes/Kilograms/Litres).	
3.	Quantity of stockpiles (in Tonnes/Kilograms/Litres).	
4.	Brief on how storage of such POPs waste is done.	
5.	Is the place of POPs waste storage clearly marked?	Yes /No
6.	Any other information.	

IndiaCode

Place:

Date :

Name and signature of applicant

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.09 19:55:50 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.